

वित्त विधेयक, 2018 (लोक सभा द्वारा पारित रूप में) का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
(iv)	खंड 112	शुल्क्य	उत्पाद शुल्क्य
(v)	खंड 140	धारा 17	धारा 3
(vii)	खंड 181	धारा 15ख	धारा 15क
(viii)	खंड 208	2002	2003
1	5	धारा 53	धारा 55
11	4	कोई	अन्य
42	31 पार्श्वशीर्ष	शुल्क्य	उत्पाद शुल्क्य
49	28 और 29	शब्द 1 जनवरी, 2016 से रखे जाएंगे और उस तारीख से रखे गए समझे जाएंगे।	शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से रखे गए समझे जाएंगे।
49	29 पार्श्वशीर्ष	धारा 17	धारा 3
59	7	अधिनियम में, "अध्याय 6	अधिनियम में, धारा 22 से पहले आने वाले "अध्याय 6
63	29 पार्श्वशीर्ष	2002	2003
67	10	या वस्तुओं के	या वस्तु व्युत्पन्नियों के
68	6 पार्श्वशीर्ष		धारा 46 का संशोधन।
68	7	(i) "संयुक्त आयुक्त"	(i) आरंभिक भाग में "संयुक्त आयुक्त"
68	11 पार्श्वशीर्ष		धारा 55 का संशोधन।
68	23	की उपधारा (16)	के खंड (16)
68	पंक्ति 27 से पंक्ति 30 का लोप करें		
70	35	उल्लिखित फर्म	उल्लिखित प्रत्येक फर्म
71	7	उल्लिखित स्थानीय	उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय
71	21	रायल्टियों	रायल्टियों
72	32	[धारा 10	[जो धारा 10
75	12	व्यक्ति की	व्यक्ति, जो अनिवासी है, की
75	36	"अग्रिम कर" पर	"अग्रिम कर" जहां कहीं लागू हों पर
77	26	उल्लिखित फर्म	उल्लिखित प्रत्येक फर्म
81	30	अधीन हैं	अधीन प्राप्त हैं
84	6,7 और 8	वाइग्ना	वाइग्ना
84	15	इसोफोथैलेट"	इसोफोथैलेट और डायोक्टाइल टैरीफ थैलेट"